



SPEED POST

प्रधान आयुक्त कार्यालय

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER

सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर

CENTRAL GOODS AND SERVICES TAX & CENTRAL EXCISE, JAIPUR

फा.न. V(Tech)RTI/68/2019 12656

दिनांक: 23.08.2019

सेवा में,

श्री राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री फूलचंद शर्मा

मकान नं. 51 जनकपुरी प्रथम

इमली फाटक जयपुर (राज.)

**विषय:** लोक सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कर सेवा (Service Tax) की जाँच के सम्बन्ध में सूचना चाहने बाबत।

महोदय,

कृपया आपके द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत किये आवेदन दिनांक 29.07.2019 के सन्दर्भ में चाही गयी सूचना की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है जो कि इस प्रकार है :-

- (i) उक्त आवेदन में आपके द्वारा मांगी गयी सूचना फर्म/व्यक्ति की निजी जानकारी और व्यावसायिक हितों की सुरक्षा के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)J एवम् 8(1)D, के अंतर्गत उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।
- (ii) क्र.सं. (i) की अनुपालना में सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस जवाब के विरुद्ध, इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के अंदर श्री ब्रज लाल मीणा, संयुक्त आयुक्त एवम् प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर, नव केंद्रीय राजस्व भवन, स्टेच्यु सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान) 302005 - को अपील कर सकते हैं।

भवदीय,

सहायक आयुक्त / केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:

1. वेबमास्टर/अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर कोजोनल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

सहायक आयुक्त / केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी  
सुनील कुमार वंगानी  
सहायक आयुक्त

Recd  
26-8-19